बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

बिहार विरासत विकास समिति

बुद्धमार्ग, (लेडी स्टीफेन्शन हॉल के बगल में) पटना–1

सूचना संबंधित दस्तावेज

बिहार विरासत विकास समिति (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन निबंधित सोसायटी) बिहार के कतिपय जिलों में प्राक्–ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक शैलचित्र स्थलों के अभिलेखीकरण (documentation) हेतु प्रामाणिक एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग लिफाफे में आमंत्रित करती हैं।

शैलचित्र स्थलों की जिलेवार अनुमानतः संख्या निम्न हैं : कैमूर–35, रोहतास–30, नबादा–80, जमुई–35। परन्तु इन जिलों के अतिरिक्त गया, नालन्दा, बाँका आदि जिलों में भी शैल–चित्र पाने की संभावना है।

अभिलेखीकरण में निम्नलिखित तत्त्व अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

(1) प्रत्येक शैल–चित्र स्थल (Site) का न्यूनतम 15 (पन्द्रह) उच्च गुणवत्ता वाले संपादित (परिवेश/संदर्भ सहित), छायाचित्र हो। छायाचित्र Raw Files और Tiff (300 dpi) 16 x 20 इंच में होंगे। कम प्रकाश में छायाचित्रण हेतु उपयुक्त कैमरा और लेंस का प्रयोग करना होगा।

(2) प्रत्येक शैल–चित्र स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर।

(3) प्रत्येक स्थल का बिहार के मानचित्र में निर्धारण एवं अंकन।

(4) प्रत्येक स्थल के संबंध में आवश्यक सूचना यथा–पटना एवं जिला मुख्यालय से दूरी एवं दिशा, निकटतम नदी से दूरी एवं दिशा, शैल चित्र की वर्त्तमान स्थिति आदि।

(5) प्रत्येक शैल चित्र स्थल एवं प्रत्येक शैलचित्र के संबंध में पुरातात्विक विवरणी, जिसमें शैलचित्र के बनाने में प्रयुक्त सामग्रियाँ, शैल चित्र का अनुमानित कालखंड, शैलचित्रों के स्तरों का विश्लेषण एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ शामिल हो।

तकनीकी प्रस्ताव में (i) संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा पुरातात्विक/ऐतिहासिक विरासत से संबंधित न्यूनतम दो वर्ष के कार्य के अनुभव का ब्योरा एवं प्रमाण प्रस्तुत करना है। (ii) एजेन्सी द्वारा पुरातात्विक/ऐतिहासिक विरासत के क्षेत्र में अपने द्वारा किये गये कार्य का न्यूनतम दो प्रतिवेदन प्रमाण स्वरूप जमा करना होगा। (iii) एजेन्सी को अपने निबंधन, पैन कार्ड (विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न) एवं जी0 एस0 टी0 से संबंधित प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। (iv) संसाधन सेवियों विशेषकर पुरातत्ववेत्ता का पाँच वर्ष का अनुभव एवं फोटोग्राफर का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–सहित अनिवार्य है। (v) प्रासंगिक कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले संसाधन सेवियों का विस्तृत स्व–हस्ताक्षरित जीवनवृत एवं घोषणा पत्र जिसमें एजेन्सी को कार्य आवंटन की स्थिति में संसाधन सेवियो द्वारा कार्य करने हेतु स्वीकृति हो। (vi) प्रासंगिक कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों की विवरणी एवं उपलब्धता के संबंध में जानकारी यथा फुल फ्रेम कैमरा इत्यादि।

वित्तीय प्रस्ताव 200 (दो सौ) शैल–चित्र स्थलों के अभिलेखीकरण के आधार पर देय होगा। कृपया नोट करे कि उपर्युक्त शैल चित्र स्थलों पर यात्रा का व्यय भी प्रस्तावकर्त्ता संस्था/एजेन्सी को ही वहन करना है। कतिपय स्थल की यात्रा दुष्कर भी हो सकती है। यदि चयनित एजेन्सी 200 (दो सौ) से अधिक शैल–चित्र स्थलों का अभिलेखीकरण करने में सफल होती है, तो प्रत्येक अतिरिक्त स्थल हेतु भुगतान 200 (दो सौ) शैल–चित्र स्थलों के लिये निर्धारित दर के आधार पर किया जायेगा। इसके विपरीत यदि 200 (दो सौ) शैल–चित्र स्थलों से कम स्थलों का अभिलेखीकरण किया जायेगा, तो निर्धारित दर के आधार पर कुल राशि से घटा कर भुगतान किया जायेगा। परन्तु चयनित संस्था/एजेन्सी द्वारा न्यूनतम 125 शैलचित्र स्थलों के अभिलेखीकरण नहीं करने पर भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू की जायेगी।

प्रस्तावकर्त्ता को जमानत राशि (EMD) के रूप में रु० 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति के नाम जो पटना में भुगतेय हो जमा करना है। सफल प्रस्तावकर्त्ता की जमानत राशि कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद एवं असफल प्रस्तावकर्त्ता की राशि प्रस्ताव के प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के अंदर लौटा दी जायेगी।

प्रत्येक शैलचित्र स्थल के अभिलेखीकरण की गुणवत्ता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति का होगा। प्रस्ताव को बिना कारण बताए निरस्त्र करने का अंतिम अधिकार कार्यपालक निदेशक का होगा।

कार्यपालक निदेशक
बिहार विरासत विकास समिति